

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
662	ता.प्र.सं.12 (क्र.2050) दि.27.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	जिला राजगढ़ की कृषि उपज मण्डी ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु तकनीकी अमले की व्यवस्था कराया जाना।	संविदा नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।		
663	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.723) दि.27.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	वर्ष 2014-15 में आगर मालवा की सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बीज अनुदान की राशि कृषकों के खातों में नियमानुसार जमा नहीं कराने की जांच एवं कृषकों के खाते में अंशदान की राशि जमा कराया जाना तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।		
664	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.862) दि.27.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विकाखण्ड लहार में वर्ष 2015 में कृषि महोत्सव हेतु प्राप्त राशि में आर्थिक अनियमितताओं की जनपद अध्यक्ष लहार द्वारा की गई शिकायत की जांच समय-सीमा में कराया जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	शिकायत की जांच, जांचकर्ता अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी लहार के द्वारा प्रक्रियाधीन है।		
665	परि.अता.प्र.सं.52 (क्र.1602) दि.27.07.2015 (श्री मोती कश्यप)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के निरीक्षण प्रतिवेदन में मण्डी निरीक्षक द्वारा कृषि उपज कम दर्शा कर मण्डी को आर्थिक क्षति पहुंचाने का दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	आदेश दिनांक 02.05.2015 से निलंबित किया गया, जिनके विरुद्ध आरोप पत्रादि जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।		
666	परि.अता.प्र.सं.66 (क्र.1803) दि.27.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले की कृषि उपज मण्डी जैसीनगर का निर्माण कार्य की जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	शासन के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा जांच करायी जा रही है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
667	परि.अता.प्र.सं.147 (क्र.2583) दि.27.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	जिला उज्जैन के दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी महिदपुर के विरुद्ध फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले में जारी नोटिस का प्रति उत्तर समय सीमा में प्राप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	पांच गुना मंडी फीस राशि रूपये 6,61,685/- एवं 6,21,958/- के जारी नोटिस के प्रति उत्तर प्राप्त होने पर दोष स्थापित होने पर पांच गुना मंडी फीस वसूली की कार्यवाही की जावेगी।		
668	अता.प्र.सं.110 (क्र.2048) दि.27.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड में प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत अधिकारियों को पृथक कर विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना किये जाने का शीघ्र निर्णय लिया जाना।	अधिकारी की पदस्थापना संबंधी निर्णय लिया जावेगा।		
669	अता.प्र.सं.146 (क्र.2353) दि.27.07.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले की विधान सभा क्षेत्र सिवनी, लखनादौन व केवलारी में आयोजित जून 2015 में कृषि महोत्सव के दौरान मिट्टी के लिये गये नमूनों की जांच कर रिपोर्ट शीघ्र दी जाकर कृषकों को लाभांवित किया जाना।	नमूनों की जांच प्रक्रियाधीन है।		
670	अता.प्र.सं.161 (क्र.2530) दि.27.07.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	वर्ष 2009 से 2014 में बैतूल जिले के घोडाडोंगरी एवं भैसदेही के कृषकों को वितरित ड्रिप की अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना।	अनुदान राशि रू.603060 भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
671	परि.अता.प्र.सं.10 (क्र.269) दि.27.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	प्रदेश में ऑनलाईन निम्न स्तरीय उत्पाद बेचने वाली एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आवश्यक प्रावधान कर शीघ्र संशोधन किया जाना ।	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन कर आवश्यक प्रावधान करने की कार्यवाही की जा रही है ।		
672	परि.अता.प्र.सं.100 (क्र.2151) दि.27.07.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर जिले में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान के रख-रखाव में की गई लापरवाही की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	रखरखाव आदि में उपार्जन एजेंसी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई है, इसकी जांच कराई जा रही है ।		
673	परि.अता.प्र.सं.119 (क्र.2363) दि.27.07.2015 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले की गुरुदेव प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या. घुवारा द्वारा नगर पंचायत घुवारा के वार्ड क्र. 01 से 05 तक की संचालित दुकानों के संबंध मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 19251/13 लंबित होने के बावजूद दुकान संचालक को बिना कारण बताओं सूचना पत्र न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध निरस्त किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना ।	जी हां सक्षम अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है ।		
674	अता.प्र.सं.14 (क्र.469) दि.27.07.2015 (श्री रामेश्वर शर्मा)	प्रदेश में म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकानें समय-सीमा में खोला जाना ।	यथासंभव सितम्बर माह तक उचित मूल्य दुकानें खोली जा सकेगी ।		
675	अता.प्र.सं.41 (क्र.1087) दि.27.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर शहर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को 01 जनवरी 2013 से 30 मई 2015 के मध्य एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अनावश्यक रूप से स्थानांतरित किये जाने की जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जी हां । जांच उपरांत तीन माह में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
676	अता.प्र.सं.189 (क्र.2710) दि.27.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	होशंगाबाद जिले की भारत माता सहकारी समिति शोभापुर को पिपरिया तहसील क्षेत्र में केरोसीन होल सेलर एवं आवंटन सप्लाई का आदेश की निरस्ती आदेश को निरस्त किया जाना।	(1) प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है। (2) शासन के निर्णयोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**सहकारिता विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
677	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.580) दि.27.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर एवं मुरैना जिले में को-ऑपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित किये जाने एवं जिले के क्षेत्र का अलग-अलग विभाजन के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 24.02.2015 की सदन में चर्चा के दौरान मा.मंत्री जी द्वारा दिए आश्वासन की पूर्ति की जाना।	परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है।		
678	परि.अता.प्र.सं.45 (क्र.1259) दि.27.07.2015 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी साख संस्था, इंदौर द्वारा क्रय की गई भूमि बिना अनुमति के नियम विरुद्ध विक्रय किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये जा सकेंगे।		
679	परि.अता.प्र.सं.78 (क्र.1929) दि.27.07.2015 (श्री अनिल फिरोजिया)	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता उज्जैन में पंजीकृत नवीन, महालक्ष्मी, आजाद, ओम एवं शिवम गृह निर्माण सहकारी संस्था के विरुद्ध लंबित जांच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हां। जांच प्रक्रियाधीन है।		
680	परि.अता.प्र.सं.79 (क्र.1930) दि.27.07.2015 (श्री अनिल फिरोजिया)	बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था उज्जैन द्वारा नियम विरुद्ध संस्था भूमि अन्य गृह निर्माण सहकारी संस्था को बेचे जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	संस्था का विशेष आडिट कराया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर निष्कर्षानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
681	परि.अता.प्र.सं.98 (क्र.2133) एवं अता.प्र.सं.120 (क्र.2134) दि.27.07.2015 (श्री विजयपाल सिंह)	जिलान्तर्गत सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा गुन्नौर पन्ना के शाखा प्रबंधक श्री राम खिलावन गर्ग द्वारा वर्ष 2014-15 में ओला पाला की वितरण हेतु प्राप्त राशि नियम विरुद्ध व्यक्तिगत खाते में जमा करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच आदेशित की गई है। शेष जांच निष्कर्षाधीन।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**सहकारिता विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
682	परि.अता.प्र.सं.128 (क्र.2458) दि.27.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	कामधेनू गृह निर्माण सहकारी मर्या.संस्था भोपाल के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश गौड़ द्वारा नियम विरुद्ध भूखण्ड क्र. 179 एवं 180 का पंजीयन गैर सदस्यों को कराया जाना एवं विक्रय राशि संस्था में जमा न किये जाने पर उक्त भूखण्डों की रजिस्ट्री शून्य कराई जाकर दोषी पूर्व अध्यक्ष एवं अन्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	भूखण्डों की रजिस्ट्री शून्य कराने एवं संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।		
683	परि.अता.प्र.सं.139 (क्र.2526) दि.27.07.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल जिले के घोडाडोंगरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीजादेही शाहपुर समिति के सहायक प्रबंधक के विरुद्ध की गई शिकायत के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक प्रबंधक को शीघ्र हटाया जाना ।	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु संस्था को लिखा गया है ।		
684	अता.प्र.सं.152 (क्र.2460) दि.27.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	उपायुक्त सहकारिता, भोपाल श्री आर.एस.विश्वकर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निश्चित समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना ।	कतिपय प्रकरणों में जांच प्रक्रियाधीन एवं कतिपय प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
685	परि.अता.प्र.सं.25 (क्र.728) दि.27.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	जिला आगर मालवा की जनपद पंचायत सुसनेर में परफॉरमेन्स ग्रांट योजना की राशि के दुरुपयोग के संबंध में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती माधुरी शर्मा को कारण बताओं सूचना पत्र के बाद प्रतिउत्तर प्राप्त पश्चात् जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। कार्यवाही प्रचलन में है। (2) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
686	परि.अता.प्र.सं.67 (क्र.1804) दि.27.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के कठोदा से फजलपुर मार्ग का निर्माण गुणवत्ताहीन कराने वाली निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही एवं अनुबंधानुसार मार्ग का निर्माण कराया जाना।	उत्तरदायी ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
687	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.1821) दि.27.07.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	रतलाम जिले की जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य में मूल्यांकन से अधिक वित्तीय अनियमितता के दोषी सरपंचों/सचिवों से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना।	राशि वसूली एवं एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय राजस्व सैलाना में प्रचलित है।		
688	परि.अता.प्र.सं.76 (क्र.1899) दि.27.07.2015 (श्री सुदेश राय)	वर्ष 2014-15 में सीहोर जिले की 56 ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर/एलसीडी चोरी होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से वसूली की कार्यवाही की जाना एवं बीमा कंपनी से क्लेम किया जाना।	(1) वसूली संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) दोषी सरपंच/सचिव द्वारा सामग्री क्रय कर स्थापित करने एवं बीमा कंपनी से क्लेम की कार्यवाही प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
689	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.1947) दि.27.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	अता.प्र.क्र.1099 दिनांक 27 फरवरी 2013 के संदर्भ में रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान की समस्त पी.सी.सी. सड़कों की जांच हेतु गठित 03 जांच दल की प्रस्तुत रिपोर्ट एवं आयुक्त रीवा संभाग के आदेश क्र. 277 दिनांक 01.07.2015 के परिपेक्ष्य में पुनः गठित दल की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच में वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
690	परि.अता.प्र.सं.92 (क्र.2051) दि.27.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हेतु ग्राम सचिवालय प्रारंभ किया जाना।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		
691	परि.अता.प्र.सं.106 (क्र.2216) दि.27.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले के लांजी एवं किरनापुर विकासखण्ड में मनरेगा अधिनियम के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय-सीमा में नहीं किये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	दोषियों के विरुद्ध दायित्व निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया है।		
692	अता.प्र.सं.10 (क्र.306) दि.27.07.2015 (श्री जतन उईके)	प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सचिवों को अंशदान पेंशन योजना का लाभ दिया जाना।	पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर एन.एस.डी.एल. को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।		
693	अता.प्र.सं.22 (क्र.730) दि.27.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	(1) जिला आगर मालवा की सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंच-परमेश्वर योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाना। (2) ग्राम पंचायत देहरिया सोयत के बागरी मोहल्ले में सी.सी.रोड निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की शिकायत की जांच कराई जाना।	(1) पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत 03(तीन) शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच प्रचलन में है। (2) जी हां। शिकायत की जांच प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
694	अता.प्र.सं.25 (क्र.796) दि.27.07.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	जिला सतना में वर्ष 2011 में रामायणम चित्रकूट एवं वर्ष 2013 में बसंत उत्सव के आयोजन पर हुए व्यय के लंबित देयकों को भुगतान शीघ्र किया जाना।	मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम/मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा।		
695	अता.प्र.सं.28 (क्र.918) दि.27.07.2015 (कुंवर विक्रम सिंह)	छतरपुर जिले में राजनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत महालक्ष्मी तेजस्वनी स्व.सहायता को नियमानुसार कार्य दिया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।		
696	अता.प्र.सं.57 (क्र.1414) दि.27.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	जिला पंचायत बैतूल/विदिशा में संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि के बिना ही मानदेय भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।		
697	अता.प्र.सं.76 (क्र.1763) दि.27.07.2015 (श्री गोपाल सिंह चौहान)	जिला अशोक नगर के ईसागढ़ विकास खण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत ग्राम कदवाया से जमूनिया चारोली मार्ग का अपूर्ण कार्य निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	एक अपूर्ण सड़क के कार्य को दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जावेगा।		
698	अता.प्र.सं.141 (क्र.2299) दि.27.07.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह बना)	P.I.V. मऊगंज जिला रीवा की सड़के क्रमशः देवरा से दामोदागढ़ बिम्मौली कैनाल से पिडरिया, रमनगरी से गढवा, ढाबा से ढावा गौतमान, खटखटी(घोघम) से उकसा कोठार, मझिगवां से अल्हवा, दामोदर गढ़ से बेलहाखेड्डा हरई, मुददान से उमरी श्रीपति, पहाड़ी से भैंसहार्प, कन्हैया से बेलहा पहुंच मार्ग का अनुबंधानुसार निश्चित समय-सीमा में नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	कार्य विलंब से करने हेतु ठेकेदार उत्तरदायी है। अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>699</b>	अता.प्र.सं.155 (क्र.2463) दि.27.07.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सी.सी.रोड के क्यूब टेस्ट कराये बिना ही निर्माण एजेन्सी को भुगतान किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।		
<b>700</b>	अता.प्र.सं.185 (क्र.2680) दि.27.07.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	(1) ग्वालियर एवं मुरैना जिले के नवनिर्वाचित सरपंचो को मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाना । (2) भूतपूर्व सरपंचो को मानदेय भुगतान की कार्यवाही शीघ्र किया जाना ।	(1) नवनिर्वाचित सरपंचों के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त होते ही मानदेय का भुगतान किया जावेगा । (2) जी हां । भूतपूर्व सरपंचों द्वारा नोडयूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही किये जाने के उपरांत शेष मानदेय का भुगतान कर दिया जावेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 27.07.2015 के आश्वासन)

**परिवहन विभाग**

**दिनांक 27.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
701	अता.प्र.सं.142 (क्र.2319) दि.27.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश में म.प्र. सड़क परिवहन निगम की किराये पर दी गई संपत्तियों के किराये में वृद्धि की जाना ।	अनुबंध नवीनीकरण हेतु नीति बनाने हेतु प्रस्ताव संचालक मंडल के समक्ष विचाराधीन है ।		